भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 394

दिनांक 19 नवम्बर, 2019 को उत्तर देने के लिए

सीपीएसई का कार्यकरण

394. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित देश में कार्यरत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यम (सीपीएसई) की संख्या कितनी है;

(ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषकर महाराष्ट्र में इसके अंतर्गत कुल कितना निवेश किया गया है;

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान सीपीएसई द्वारा हुई कुल हानि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा घाटे में चल रही सीपीएसई के पुनरूद्धार हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क): संसद में दिनांक 27.12.2018 को प्रस्तुत किए गए लोक उद्यम सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, दिनांक 31.03.2018 को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित देश में 339 सीपीएसईज कार्यरत थे।

(ख): दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत कार्यालय के स्थान के आधार पर सीपीएसईज में किए गए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश निवेश (शेयर पूंजी प्लस दीर्घकालीन उधार राशियां) का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग): गत तीन वर्ष के दौरान सीपीएसईज को हुई हानियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	घाटे में चल रहे सीपीएसईज की संख्या	घाटे में चल रहे सीपीएसईज को हानि (रूपए करोड़ में)
2015-16	79	-30756
2016-17	81	-27480
2017-18	71	-31261

(घ): लोक उद्यम विभाग ने "रूग्ण/शुरूआती रूग्ण तथा कमजोर सीपीएसईज के पुनरूद्धार एवं पुनर्गठन के लिए तंत्र को युक्तिसंगत बनाना" पर दिनांक 29.10.2015 को दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएसईज के कार्यनिष्पादन की निगरानी करने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का होता है और सीपीएसईज के लिए पुनरूद्धार/पुनर्गठन/विनिवेश/बंद करने संबंधी योजनाओं का प्रतिपादन करते हुए निवारण संबंधी उपाय करते हैं और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्राप्ति के पश्चात योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं।

अनुबंध

सीपीएसई का कार्यकरण के संबंध में पूछे गए दिनांक 19.11.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 394 के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत कार्यालय के स्थान के आधार पर सीपीएसईज में किए गए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश निवेश (शेयर पूंजी प्लस दीर्घकालीन उधार राशियां) का ब्यौरा।

क्रम सं.	**राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश**	**निवेश (शेयर पूंजी प्लस दीर्घकालीन उधार राशियां) (रूपए करोड़ में)**
1	अंडमान और निकोबार द्विपसमूह	319
2	आंध्र प्रदेश	11,570
3	अरूणाचल प्रदेश	1
4	असम	14,280
5	बिहार	733
6	चंडीगढ़	264
7	छत्तीसगढ़	2,645
8	दिल्ली	1,133,055
9	गोवा	78
10	गुजरात	16
11	हरियाणा	32,725
12	हिमाचल प्रदेश	6,402
13	जम्मु और कश्मीर	111
14	झारखंड	8,074
15	कर्नाटक	13,013
16	केरल	3,798
17	मध्य प्रदेश	3,247
18	महाराष्ट्र	76,850
19	मणिपुर	118
20	मेघालय	9,878
21	नागालैण्ड	185
22	ओडिशा	1,869
23	पांडिचेरी	2
24	पंजाब	969
25	राजस्थान	524
26	तमिलनाडु	22,463
27	तेलंगाना	913
28	उत्तर प्रदेश	1,424
29	उत्तरांचल	6,098
30	पश्चिम बंगाल	21,790
	कुल	1,373,412

******